न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –12/2024 (अपील)

GCMS No.- 2024/77

1. कान्हा पुत्र माधो जाति मेघवाल
2. कानी पुत्री माधो जाति मेघवाल
3. बदाम पुत्री माधो जाति मेघवाल
   निवासीगण लाडपुरा कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0
4. गणेशराम पुत्र नन्दलाल जाति मेघवाल
5. मथुरी बाई पुत्री नन्दलाल जाति मेघवाल
6. रामकन्या पुत्री नन्दलाल जाति मेघवाल
7. बिरधी बाई पुत्री नन्दलाल जाति मेघवाल
8. भूली बाई पुत्री नन्दलाल जाति मेघवाल
9. रामेश्वर पुत्र मोडूलाल जाति मेघवाल
10. हंसराज पुत्र मोडूलाल जाति मेघवाल
11. देवकन्या पुत्री मोडूलाल जाति मेघवाल
12. होशियार बाई वर्ष पत्नि मोडूलाल जाति मेघवाल
    निवासीगण–खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा राज0

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास सी ए डी सर्किल कोटा राज0

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय दिनांक 5.02.2003 योग्य तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–12.08.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2003 निर्णय दिनांक 05.02.2003 से धारा 90 ए के तहत ग्राम लाडपुरा कैथून की आराजी खसरा नं0 खसरा नम्बर 245 रकबा 0.66 हे0 खातेदार कान्हा, कान्ही, बादाम, शंकरी आत्मज माधो द्वारा उक्त खातेदारी भूमि 0.66 हे0 में से 0.33 हे0 में ईंट भट्टा लगाकर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोग में लेने के कारण खसरा नम्बर 245 में से 0.33 हे0 भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश किया गया ।

2. तहसीलदार लाडपुरा के उक्त आदेश दिनांक 05.02.2003 के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2024 को पेश की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली तलब की गई । पेरोकार सरकार उपस्थित । रेस्पोडेन्ट नं0 2 की ओर से अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय का वकालतनामा पेश हुआ है । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट नं0 1 लगायत 3 व अपीलान्ट नं0 4 लगायत 8 की माता व अपीलान्ट कम 9 लगायत 12 की दादी व सास शंकरी पुत्री माधो के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 242 की रकबा 0.33 हे0 व ख0नं0 245 की रकबा 0.66 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.99 हे0 आराजी वाके ग्राम लाडपुरा कैथून तह0 लाडपुरा स्थित है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर खातेदारान काबिज व्यक्तियों को प्रोपर सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका दिये बिना ही उक्त भूमि को अकृषि में लेना मानकर एवं धारा 91 व 90 ए के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया है जबकि कानूनन खातेदार के विरूद्व धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । दोनों कार्यवाही पृथक पृथक होना चाहिये थी अतः आदेश जेर अपील शुरू से ही प्रभाव शून्य है वकील अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया है कि अपीलांट ने ईंट भट्टा संचालित नहीं कर केवल कजावा बनाने का कार्य किया था, जिसमें भू–रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं होती है । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये बेदखली का व उक्त भूमि सिवायचक कर खाता सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील दिनांक 5.2.2003 निरस्त किया जावें ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि खातेदार अपीलांटगण द्वारा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर खसरा नम्बर 245 में से 0.33 हे0 भूमि पर ईंट भट्टा लगाया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 90ए के अन्तर्गत भूमि सिवायचक दर्ज की गई है तद्उपरान्त भूमि सिवायचक दर्ज होने से वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज हो चुकी है, जो इस इस अपील के जरिये पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है । अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार लाडपुरा का अपीलाधीन आदेश वर्ष 2003 का है जिसकी अपील 21 साल बाद प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है । जबकि उक्त अपीलाधीन आदेश की अपीलांटगण को पूर्ण जानकारी थी, इसके बाद भी अपील 21 साल बाद प्रस्तुत की है अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही उचित है । अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 05.02.2003 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2024 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो मियाद बाहर है, धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के कारणों में प्रथम सूचना दिनांक 19.1.2024 को पटवारी हल्का द्वारा जमीन पर से कब्जा छोडने तथा उक्त खाता सरकार दर्ज होने की जानकारी देने पर होना बताया है । तथा प्रथम जानकारी से नकल प्राप्त करने रूपयों के इन्तेजाम करने का समय को डिले कन्डोन करने का कथन किया है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट एवं पेरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर आपत्ति की गई है तथा कथन किया है कि अपीलांटगण को उक्त आदेश की पूर्व से ही जानकारी थी तथा 21 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की है विलम्ब के लिए बताए गये कारण पर्याप्त नहीं होने से खारिज फरमाई जावें । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2003 निर्णय दिनांक 05.02.2003 से धारा 90 ए के तहत ग्राम लाडपुरा कैथून स्थित अपीलांटगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं0 245 रकबा 0.33 हे0 भूमि पर कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ ईंट भट्टा संचालित करने के कारण सिवायचक दर्ज करने का आदेश किया गया था । अपील 21 वर्ष बाद प्रस्तुत की है विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में बताये गये कारण ठोस आधार नहीं होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है । साथ ही वादग्रस्त भूमि अन्य सिवायचक भूमियों के साथ वर्तमान में नगर विकास न्यास के खाते दर्ज हो चुकी है जिसे इस अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से एवं अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 5.2.203 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा